335

मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 1997 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 30 जुलाई, 1997 (श्रावण 8, 1919)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम का दिनांक 31 मार्च, 1995 को समाप्त वर्ष के लेखाओं का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री बच्चन नायक, बनवारीलाल अग्रवाल, रामलखन सिंह (त्योंथर), सदस्य, ग्वालियर उच्च न्यायालय परिसर स्थित हवालात से कैदियों के फरार होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सोबरन सिंह मावई, सदस्य, मुरैना जिले के बामौर औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत चोरी होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य, मंदसौर जिले के ग्राम पंचायत लदूना में भूमि आवंटन में अनियमितता होने की ओर उप मुख्य मंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम ओबरी निवासी एक व्यक्ति का डकैतों द्वारा अपहरण कर हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का इकतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे:-

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के इकतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है".

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय

15 मि. (1) श्री रविन्द्र चौबे, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 25 सन् 1997) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

15 मि. (2) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सामान्य प्रशासन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 1997 (क्रमांक 27 सन् 1997) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

6. प्रतिवेदनों पर चर्चा

3 घन्टे मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का वार्षिक वित्तीय विवरण वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 तथा निजी क्षेत्रों में सौंपी गई विद्युत परियोजनाओं से संबंधित विद्युत क्रय अनुबन्ध (पी.पी.ए.) दिनांक 11 नवम्बर, 1994 एवं दिनांक 27 मई, 1996 पर चर्चा.

7. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

(1) दिनांक 4 मार्च, 1997 को राज्यमंत्री, खनिज साधन से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्रमांक 4412) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री रामलखन सिंह (त्योंथर), सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

(2) दिनांक 21 जुलाई, 1997 को आदिम जाति कल्याण, मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्रमांक 71) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री बच्चन नायक, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक 29 जुलाई, 1997

के.पी.तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा